उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-82/2018/ /92-1-2018-29(अधि0)/2017
लखनऊ: दिनांक : 20 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री वी0के0 सिंह गौर, अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को अपने कार्यों के साथ-साथ अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड-आजमगढ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, का अतिरिक्त रूप से कार्य देखे जाने हेतु शासन के अग्रिम आदेशों तक अधिकृत किया जाता है ।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है। उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री गौर को कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ता आदि देय नहीं होगा ।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

वी0के0 सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2018/ (1)/92-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता(पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
7- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in